प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज उर्फ पिन्टू पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज उर्फ पिन्टू पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी अमराला, थाना-भोजपुर,जनपद-गाजियाबाद का है। दिनांक 24.10.2001 को वादी संजय चौधरी का लड़का विशाल आयु लगभग 08 वर्ष घर पर अकेला था। वादी अपने भाई के घर सेक्टर-9 राजनगर गये थे। घर वापस आने पर विशाल के नही मिलने पर थाना-कविनगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। दिनांक 25.10.2001 को वादी से फोन कर फिरौती की धनराशि मांगे जाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट अपराध में दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा जॉच पड़ताल करने अभियुक्त द्वारा हत्या की संस्वीकृति की गयी तथा निशानदेही पर दिनांक 29.10.2001 को गंगनहर से मृतक विशाल के शव की बरामदगी करायी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-71/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-5, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 25.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.03.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2021 तक 19 वर्ष 09 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 09 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष की श्रेणी में नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं करने, बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, क्योंकि अपराध में सम्मिलित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा बंदी के पूर्व में पैरोल पर आने पर आचरण अच्छा नहीं रहने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी के पुन:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी द्वारा अपराध एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध किये जाने तथा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने फिरौती के लिए वादी संजय चौधरी के लड़के विशाल आयु 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पैरोल पर आचरण अच्छा न होने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नीरज उर्फ पिन्टू पुत्र श्री इन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज उर्फ पिन्टू (बन्दी संख्या-252/2007) पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-140/2022/487(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-140/2022/487/22-2-2022-17(491)/2022
दिनांक 13 सितम्बर, 2022 का संलग्नक
सरकार के आदेश

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज उर्फ पिन्टू पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी अमराला, थाना-भोजपुर,जनपद-गाजियाबाद का है। दिनांक 24.10.2001 को वादी संजय चौधरी का लड़का विशाल आयु लगभग 08 वर्ष घर पर अकेला था। वादी अपने भाई के घर सेक्टर-9 राजनगर गये थे। घर वापस आने पर विशाल के नही मिलने पर थाना-कविनगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। दिनांक 25.10.2001 को वादी से फोन कर फिरौती की धनराशि मांगे जाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट अपराध में दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा जॉच पड़ताल करने अभियुक्त द्वारा हत्या की संस्वीकृति की गयी तथा निशानदेही पर दिनांक 29.10.2001 को गंगनहर से मृतक विशाल के शव की बरामदगी करायी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-71/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-5, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 25.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.03.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2021 तक 19 वर्ष 09 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 09 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष की श्रेणी में नहीं होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं करने, बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, क्योंकि अपराध में सम्मिलित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा बंदी के पूर्व में पैरोल पर आने पर आचरण अच्छा नहीं रहने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी द्वारा अपराध एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध किये जाने तथा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने फिरौती के लिए वादी संजय चौधरी के लड़के विशाल आयु 08 वर्ष का अपहरण कर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पैरोल पर आचरण अच्छा न होने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नीरज उर्फ पिन्टू पुत्र श्री इन्द्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in